

प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,  
शिक्षा सदन सैक्टर-5,  
पंचकुला ।

सेवा में

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,


यादी क्रमांक 4/29-2013 एम.डी.एम(1)  
दिनांक 29-5-2013

विषय: मिड-डे-मील स्कीम के अर्न्तगत खाद्यान्न की सप्लाई हेतु प्राप्त हुई बोरियों  
बारे ।

.....

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

मिड डे मील स्कीम के अर्न्तगत FCI के गोदामो से जो खाद्यान्न उठाया जाता है वह कम से कम 50 किलो के बैग मे होता है। 4th Joint Review Mission द्वारा सुझाव दिया गया कि इन बोरियों को बेच कर प्राप्त होने वाली राशि का मिड डे मील के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको निर्देश दिए जाते है कि आप अपने जिले के सभी विद्यालयो को सूचित करे कि खाद्यान्न की खाली बोरियो को कबाड मे न फेंका जाए अपितु उनकी प्रवष्टि मिड डे मील के स्टॉक रजिस्टर मे की जाए तथा उन्हे संभाल कर रखा जाए ।

  
अधीक्षक मिड-डे-मील  
कृते महानिदेशक मौलिक शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला